

कार्यालय:-जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात, कानपुर देहात।

पत्रांक-

/जि0का0310/ऑ0वा0सहायिका/चयन/विज्ञापित/2025-26

दिनांक- 27/11/2025

विज्ञापित-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687), बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग, दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कानपुर देहात के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शीघी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	परियोजना का प्रकार	सहायिकाओं के रिक्त पदों की आरक्षणवार स्थिति				कुल योग
				अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकबरपुर	39	ग्रामीण/शहरी	17	13	9	0	39
2	अगरीघा	58	ग्रामीण/शहरी	33	15	10	0	58
3	डेरपुर	35	ग्रामीण/शहरी	20	9	5	1	35
4	झींझक	40	ग्रामीण/शहरी	19	10	7	4	40
5	गैथा	55	ग्रामीण	32	12	11	0	55
6	गलासा	25	ग्रामीण	12	9	3	1	25
7	राजपुर	47	ग्रामीण/शहरी	25	10	12	0	47
8	रसूलाबाद	115	ग्रामीण/शहरी	62	29	24	0	115
9	सन्दलपुर	31	ग्रामीण	12	11	7	1	31
10	सरवनखेड़ा	42	ग्रामीण/शहरी	20	12	10	0	42
11	शहर रलम	21	शहरी	11	6	4	0	21
कुल योग		508	—	263	136	102	7	508

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, नगर पालिका/नगर पंचायतों, तहसील एवं समस्त बाल विकास परियोजना/विकास खण्डों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चरखा की गयी है। साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी क्षेत्र) एवं ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र) का निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ दिनांक 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।
5. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन ही निर्धारित समयवधि के अन्दर स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. आवेदिका द्वारा अभिलेखों का स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया है।
7. ग्राम सभा/वार्ड से विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता को शासनादेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।
8. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
10. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
11. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
12. निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
13. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-17.12.2025 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक होगी।
14. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-206, विकास भवन, माती मुख्यालय, कानपुर देहात से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ०आर०बी०सिंह)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,


कानपुर देहात।

Contd. 2

पू०सं०-C-1003/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
4. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि जनपद कानपुर देहात के समस्त बाल विकास परियोजनावार रिक्त ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों की विज्ञप्ति अपने स्तर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति को तहसील, विकास खण्ड, सी०एच०सी० तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
6. सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण एवं स्थानीय समाचार पत्र सत्ता एक्सप्रेस को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त विज्ञप्ति शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए बिल तीन प्रतियों में मय प्रकाशित समाचार पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि बिल के भुगतान की अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

  
20/11/25  
जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
कानपुर देहात।